FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0258 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 03/10/2025 16:28 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 13/08/2025 **Date To (दिनांक तक):** 14/08/2025

      Time Period (समय अवधि): पहर 4 **Time From (समय से):** 16:00 बजे **Time To (समय तक):** 09:37 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 03/10/2025 **Time (समय):** 14:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 03/10/2025 16:28:25 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 300 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICAB

      (b)**Address(पता):** AAROPI KA RIHAYASHI MAKAN/NAYA BAZAR, RASHMI JILA CHITTORGARH

      (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

      Name of P.S (थाना का नाम):

      District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): SANJAY BHEEL

(b) Father's Name (पिता का नाम): SHAMBHU LAL BHEEL

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 2001

(d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	WARD NO 08, GRAM RASHMI, CHITTORGARH, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	WARD NO 08, GRAM RASHMI, CHITTORGARH, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	BANSHI LAL RAIGAR		पिता:PYAR CHAND RAIGAR	1. WARD NO 02,MUKAM POST RASHMI,CHITTORGARH,RAJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		3,00,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 3,00,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, हालात् इस प्रकार निवेदन है कि दिनांक 13.08.2025 को समय करीब 04.00 पी0एम0 पर परिवादी श्री संजय भील पुत्र श्री शम्भु लाल उम्र 24 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 08 राशमी जिला चित्तोड़गढ़ ने उपस्थित कार्यालय होकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को एक स्वयं का हस्तलिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि "मैं संजय भील पिता शम्भु लाल जाति भील उम्र 24 वर्ष निवासी राशमी थाना राशमी का निवासी हू। मेरे दादाजी चान्दमल जिनका व मेरे पिताजी शम्भु लाल दोनों का स्वर्गवास हो चुका है। अभी मैं व मेरे भाई राशमी के वार्ड नं. 8 में बने हुए मकान में निवास करते हैं जिसके भूखण्ड का पट्टा नहीं बना हुआ है तथा मेरे दादा जी का वार्ड नं. 8 में ही हमारे कब्जे शुदा भुखण्ड लगभग 5000 वर्गफीट का है जिसका भी पट्टा नहीं बना हुआ है। मकान का पट्टा बनवाने के लिए मैंने लगभग 01 महीने पहले ग्राम पंचायत राशमी में फाईल लगाई थी। मकान का तथा मेरे दादाजी वाले भूखण्ड का पट्टा बनाने के लिए मैंने हमारे गॉव के सरपंच श्री बंशी लाल रेगर से सम्पर्क किया तो पहले उसने मुझसे 6,20,000 रूपये की राशि की मांग की, उसके बाद मैंने निवेदन किया कि मेरी इतनी हैसियत नहीं है और इतनी रकम नहीं दे सकता हू फिर उसने 3,20,000 रूपये मकान व भूखण्ड का पट्टा देने की एवज में रिश्वत की मांग की तथा यह भी कहा कि 2 या 3 दिन में आधे पैसे दे दे यानि 1,60,000 रूपये दे दे नहीं देगा तो पट्टा की रजिस्ट्री किसी और के करवा दूंगा, रिश्वत राशि की मांग के लिए वो मुझे बार- बार धमकी दे रहा है, मैं अपने भूखण्ड का पट्टा बनवाना चाहता हू तथा मैं भ्रष्ट सरपंच (प्रशासक) राशमी बंशी लाल रेगर को रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हू तथा उसे रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हू। मेरी बंशी लाल रेगर से निजी दुश्मनी नहीं है, ना ही हमारे बीच में कोई लेन-देन या बाकियात् है। कानूनी कार्यवाही करावें। परिवादी से मजीद दरियाफ्त करने पर उसने उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य सही होना बताया तथा प्रार्थना पत्र स्वयं का हस्तलिखित होना व उस पर स्वयं के हस्ताक्षर अंकित करना बताया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं मजीद दरियाफ्त से मामला ट्रेप कार्यवाही का पाया जाने से रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। इसके बाद समय करीब 04.30 पी0एम0 पर परिवादी श्री संजय भील को रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन करवाने के लिये कहा गया तथा श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 नं0 132 से कार्यालय का डीवीआर मंगवा कर अपने कक्ष में बुलाया तथा परिवादी श्री संजय भील व श्री जितेन्द्र सिंह का आपस में परिचय करवाया गया तथा दोनो के मोबाईल नम्बरों का आपस में आदान-प्रदान करवाया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 द्वारा परिवादी को डीवीआर को संचालन करने की विधि समझाई गई। परिवादी ने बताया कि आज सरपंच से बात नहीं हो सकती है। आप कल श्री जितेन्द्र सिंह को मेरे गॉव राशमी भेज देना, मैं वहीं मिल जाउंगा व रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन करवा दूंगा। इस पर श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 को आवश्यक हिदायत कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं डीवीआर को कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। इसके बाद समय करीब 05.00 पी0एम0 पर परिवादी श्री संजय भील को गोपनीयता बरतने की हिदायत की गई एवं कल दिनांक 14.08.2025 को ब्यूरो चौकी के श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 के ग्राम राशमी पहुंचने उनके हमराह जाकर रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन करवाने की हिदायत देकर परिवादी को रूखसत किया गया। इसके बाद दिनांक 14.08.2025 को समय करीब 08.00 ए0एम0 पर श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 को कार्यालय का डीवीआर मय नया खाली मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन हेतु परिवादी के गांव राशमी के लिए रवाना किया गया। इसके बाद समय करीब 04.30 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रकरण संख्यां 163/2023 में आरोपीगणों के विरूद्ध सक्षम अधिकारी से भीलवाड़ा में विचार विमर्श कर उपस्थित आया हू। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 ने कार्यालय का डीवीआर मय मैमोरी कार्ड पेश करते हुए बताया कि मैं ब्यूरो कार्यालय से 08.00 एएम पर रवाना होकर ग्राम राशमी से कुछ पहले पहुचा, जहॉ पर परिवादी श्री संजय भील उपस्थित मिला। परिवादी को अपने साथ लेकर संदिग्ध आरोपी बंशी लाल रेगर सरपंच राशमी के घर से कुछ पहले पहुच परिवादी को डीवीआर सुपुर्द कर रिश्वत राशि मांग का सत्यापन कराने हेतु संदिग्ध आरोपी बंशी लाल रेगर सरपंच राशमी के घर के लिए रवाना किया गया। कुछ समय बाद परिवादी श्री संजय वापस आया और बताया कि मेरी सरपंच साहब से रिश्वत मांग के सम्बन्ध में बात हो गई है। जो वार्ता हुई उसे मैने आपके विभाग के डीवीआर में रिकॉर्ड कर ली है तथा डीवीआर बन्द हालत में मुझे दिया तथा परिवादी ने बताया कि मैं रिश्वत राशि की व्यवस्था कर कल कार्यवाही हेतु आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाउगा। इस पर आपके निर्देशानुसार परिवादी को गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर

वहीं रूखसत कर मैं ग्राम राशमी से रवाना हो समय करीब 11.15 एएम पर कार्यालय पहुंचा। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डीवीआर को चालू कर उसमें रिकार्ड वार्ता को सुना तो रिश्वत राशि मांग सत्यापन का होना पाया गया। परिवादी के कल दिनांक 15.08.2025 को ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आने पर ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया जावेगा। डीवीआर मय मैमोरी कार्ड को श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 से सुरक्षित कार्यालय की अलमारी में रखवाया गया। इसके बाद समय करीब 05.00 पीएम पर दो स्वतन्त्र गवाह की तलबी हेतु मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी चित्तौडगढ़ को इस कार्यालय का पत्रांक 1954 दिनांक 14.08.2025 जारी कर प्रेषित किया गया। इसके बाद समय करीब 05.30 पीएम पर दो स्वतन्त्र गवाह् कार्यालय में उपस्थित आये जिनको मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय देकर उनसे अपना परिचय पुछा तो एक ने अपना नाम श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान पुत्र श्री नारायण सिंह जाति राजपूत उम्र 31 वर्ष निवासी अलखनंदा कॉलोनी बालाजी विहार के पास वैशाली नगर अजमेर पुलिस थाना किशनगंज हाल व्याख्याता महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय स्टेशन चित्तौड़गढ एवं दूसरे ने अपना नाम श्री मोहम्मद उमर मंसूरी पुत्र श्री अब्दुल अजीज मंसूरी जाति मंसूरी उम्र 55 वर्ष निवासी मकान नम्बर 62 हश्मत कॉलोनी बून्दी रोड़ चित्तौड़गढ हाल वरिष्ठ अध्यापक राजकीय पुरूषार्थी उच्च माध्यमिक विद्यालय चित्तौड़गढ होना बताया। दोनो गवाह ने की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाह उपस्थित रहने की सहमती प्रदान करने पर उनको कल दिनांक 15.08.2025 को 11.00 एएम पर ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होने की हिदायत कर रूखसत दी गई। उक्त दोनों गवाहानों की गोपनीय राजकार्य हेतु ड्यूटी लगाये जाने का आदेश मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी चित्तोड़गढ़ का जारी शुदा पत्र क्रमांक 606 दिनांक 14.08.2025 जरिये ई-मेल प्राप्त हुआ जिसे शामिल फाईल किया गया। इसके बाद दिनांक 15.08.2025 को समय करीब 10.00 एएम पर तलविदा दोनों स्वतन्त्र गवाह कार्यालय में उपस्थित आये जिनको कार्यालय में बिठाया गया। परिवादी के उपस्थित आने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। इसके बाद समय करीब 10.15 एएम पर श्री शेर सिंह कानि0 चालक को ट्रेप कार्यवाही हेतु टेक्सी स्टैण्ड से एक प्राईवेट वाहन किराये पर लेकर आने के लिये रवाना किया गया। इसके बाद समय करीब 10.30 एएम पर श्री शेर सिंह कानि0 चालक टेक्सी स्टैण्ड से एक प्राईवेट वाहन ट्वेरा नं0 आरजे 09 टीए 2729 मय प्राईवेट चालक श्री विजय सिंह निवासी बोजून्दा, चित्तोड़गढ़ मोबाईल नम्बर 8005721736 को लेकर उपस्थित आया। प्राईवेट चालक श्री विजय सिंह को अपने वाहन में कार्यालय के बाहर बैठने के निर्देश दिए गए। इसके बाद समय करीब 01.30 पीएम पर परिवादी श्री संजय भील कार्यवाही में उपस्थित आया है। परिवादी का दोनो स्वतन्त्र गवाह से आपस में परिचय करवाया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गवाह को पढकर सुनाया गया व दिखाया गया। परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को सही होना बताया तथा प्रार्थना पत्र स्वयं का हस्तलिखित होना एवं उस पर स्वयं के हस्ताक्षर अंकित होना बताया। श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि से दिनांक 14.08.2025 को हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता का डीवीआर मय मैमोरी कार्ड के कार्यालय की अलमारी से निकलवाकर मंगवाया गया तथा डीवीआर को चालु कर उसमें रिकॉर्ड वार्ता के मुख्य अंशों को दोनो स्वतन्त्र गवाह को सुनाया गया तो दोनो गवाह ने भी रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन होने की पुष्टि की। परिवादी ने उक्त रिकॉर्ड वार्ता में एक आवाज अपनी स्वयं की व दूसरी आवाज संदिग्ध आरोपी बंशीलाल रेगर सरपंच ग्राम पंचायत राशमी की होना बताया। परिवादी के प्रार्थना पत्र पर दोनो गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक से तैयार की जावेगी। इसके बाद समय करीब 02.15 पीएम पर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष दिनांक 14.08.2025 समय 09.37 एएम पर परिवादी श्री संजय भील व आरोपी श्री बंशाीलाल रेगर सरपंच गा्रम पंचायत राशमी चित्तौडगढ, के मध्य आरोपी के रिहायशी मकान (नया बजार राशमी) में हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जिसे ब्यूरो के डिजिटल ट्रेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया था। उक्त डिवीआर को कार्यालय के कम्प्युटर से कनेक्ट कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में कानि0 श्री जितेन्द्र कुमार 76 से पृथक से मूर्तिब की जाकर फर्द पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद समय करीब 03.30 पीएम पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री संजय भील पुत्र श्री शम्भुलाल भील जाति भील उम्र 24 वर्ष पेशा मजदूरी निवासी वार्ड नं. 08 राशमी पुलिस थाना राशमी तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने की कहने पर परिवादी श्री संजय भील ने अपनी व्यवस्थानुसार अपने पास से निकालकर पॉच-पॉच सौ रूपये के 103 नोट कुल इक्यावन हजार पॉच सौ रूपये (51,500 रूपये) पेश किये। भारतीय मुद्रा के उक्त नोटों के नम्बर फर्द में अंकित किये गये। उक्त नोटो के अलावा पॉच-पॉच सौ रूपये के 197 डमी नोट (भारतीय मनोरंजन बैंक) कुल 98,500 रूपयें भी उपरोक्त नोटो में शामील किये गये एवं इस प्रकार समस्त 1,50,000 रूपये के नोटो पर श्रीमति टीना कँवर महिला कानि0 38 से मालखाने से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को निकलवाकर उपरोक्त समस्त नोटो के दोनो ओर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर गवाह श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान द्वारा परिवादी की तलाशी लिवाई गई तो पहनी हुई जींस पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में कोई वस्तु नहीं होने पर उक्त नोटों से डमी नोटों की दो गड्डी बना कर उनके उपर-नीचे 3-3 असली नोट रखे जाकर 50-50 हजार रूपये की दो गड्डी बनाई गई एवं बचे हुये 91 असली नोटों के बीच में 09 नोट डमी नोट रख कर एक और गड्डी 50 हजार रूपये की बना कर असली नोटों की गड्डी को सबसे उपर रखते हुए उनके नीचे दो डमी गड्डी रखवा कर तीनों नोटों की गड्डियों को परिवादी श्री संजय भील की पहनी हुई जींस पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में कोई शैः नही छोडते हुए

श्रीमति टीना कँवर महिला कानि0 38 से रखवाये गये। श्री प्रवीण सिंह कानि. से एक साफ प्लास्टिक गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस रंगहीन घोल में श्रीमति टीना कँवर महिला कानि0 की उंगलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगे तो नोटों पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उनकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की उंगलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्रीमति टीना कँवर महिला कानि0 से बाहर फिकवाकर डिस्पोजल गिलास को जलाकर नष्ट कराया तथा जिस अखबार पर रख कर नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया था उस अखबार को श्रीमति टीना कँवर महिला कानि0 से जलवाया गया। तत्पश्चात् श्रीमति टीना कँवर महिला कानि0 से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को कार्यालय मालखाने में सुरक्षित रखवाई गई तथा परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उसके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए, यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रर्दशन न करे तथा रिश्वती राशि दे चुकने के बाद गोपनीय निर्धारित ईशारा (अपने दोनो हाथो को स्वयं के सिर पर घुमाना) करें। यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया तथा श्री प्रवीण सिंह कानि से ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशियॉ, ढक्कन चम्मच इत्यादि को साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर व नये डिस्पोजल गिलास पैकेट ट्रेप बॉक्स में रखवाये गये। इसके पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो गवाहान, परिवादी एवं स्टाफ का आपस मे परिचय करवाया गया। तत्पश्चात गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व सुनने का प्रयास करे एवं परिवादी श्री संजय भील को डिजीटल टेप रिकॉर्डर देते हुए हिदायत दी गई कि वह रिश्वती राशि के लेन-देन के वक्त आरोपी से होने वाली वार्तालाप को टेप करें। परिवादी, स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा श्रीमति टीना कँवर महिला कानि0 को कार्यालय में ही रहने की हिदायत मुनासिब की गई। उक्त कार्यवाही की फर्द हाजा पृथक मुर्तिब कर फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा शामील कार्यवाही की गई। इसके बाद समय करीब 4.15 पीएम पर श्री जितेन्द्र सिह हैड कानि. मय परिवादी श्री संजय भील, दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री मोहम्मद उमर मंसूरी व श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान व ट्रेप पार्टी सदस्य श्री सुनील कुमार व प्रवीण सिंह कानि0 को सरकारी मोबाईल मय खाली मैमोरी कार्ड के सुपुर्द कर जरिये प्राईवेट वाहन ट्वेरा मय प्राईवेट चालक श्री विजय सिंह को बजानिब राशमी की तरफ रवाना कर उनके साथ-2 मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं ट्रेप पार्टी सदस्य श्री दलपत सिंह एएसआई, श्री ओमप्रकाश एएसआई व श्री सन्दीप कुमार कानि0, श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 एवं महिला कानि0 श्रीमति आशा को हमराह ले मय सरकारी डिवीआर मय मैमोरी कार्ड के मय लेपटॉप मय प्रिन्टर मय ट्रेप बॉक्स व आवश्यक स्टेशनरी, लेखन सामग्री जरिये सरकारी वाहन ट्वेरा मय चालक श्री शेर सिंह कानि0 के ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना राशमी की तरफ हुये। इसके बाद समय करीब 5.15 पीएम पर उपरोक्त फिगरा का रवाना शुदा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं ट्रेप पार्टी सदस्य श्री दलपत सिंह एएसआई, श्री ओमप्रकाश एएसआई ब श्री सन्दीप कुमार कानि0, श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 एवं महिला कानि0 श्रीमति आशा के ग्राम राशमी बस स्टैण्ड से कुछ पहले पहुंचा जहां पर श्री जितेन्द्र सिह हैड कानि. मय परिवादी श्री संजय भील, दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री मोहम्मद उमर मंसूरी व श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान व श्री सुनील कुमार व प्रवीण सिंह कानि0 उपस्थित मिले दोनों वाहनों को साईड में खड़ा करवा कर परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर मय डीवीआर के आरोपी सरपंच श्री बंशी लाल रेगर के घर के लिये रवाना किया गया तथा परिवादी के पिछे-2 दोनों स्वतन्त्र गवाहान व श्री जितेन्द्र सिह हैड कानि. व श्री सुनील कुमार व प्रवीण सिंह कानि0 को रवाना किया मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शेष ट्रेप पार्टी सदस्यों के पैदल-पैदल रवाना हो आरोपी सरपंच श्री बंशी लाल रेगर के घर के आस-पास पहुंच अपनी-2 उपस्थिति छिपाते हुए परिवादी के निर्धारित ईशारे का इन्तजार करने लगे। इसके बाद समय करीब 5.25 पीएम पर परिवादी ने बिना कोई ईशारे किए मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास आकर बताया कि सरपंच श्री बंशी लाल रेगर नहीं मिले उनके घर अन्दर से बन्द था तथा उनके सामने पड़ौसी ने बताया कि वो लोग कहीं बाहर गये हुये हैं। इस पर परिवादी के मोबाईल नम्बर [redacted] से सरपंच श्री बंशी लाल रेगर के मोबाईल नम्बर [redacted] पर कॉल करवाया गया तो उसका फोन स्वीच ऑफ होना पाया गया। परिवादी ने बताया कि मेरे पास संदिग्ध सरपंच श्री बंशी लाल रेगर की पत्नी के मोबाईल नम्बर है उस पर कॉल कर सरपंच साहब के बारे में पूछ सकता हू जिस पर परिवादी के बताये अनुसार परिवादी के मोबाईल नम्बर [redacted] से संदिग्ध सरपंच श्री बंशी लाल रेगर की पत्नी के मोबाईल नम्बर [redacted] पर समय करीब 7.32 पीएम कॉल करवाया गया तो उसकी पत्नी द्वारा सिर्फ हैलो-2 ही बोला गया तथा ऐसा प्रतीत हुआ कि उसे परिवादी की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है। पुनः परिवादी से व संदिग्ध सरपंच श्री बंशी लाल

रेगर की पत्नी के मोबाईल पर समय करीब 7.42 पर कॉल करवाया गया तो रिंग जाने पर फोन किसी ने अटैण्ड नहीं किया। इस पर परिवादी को पुनः आवश्यक हिदायत कर सरपंच श्री बंशी लाल रेगर के घर की ओर रवाना किया गया तथा शेष सदस्य उपरोक्त फिगरा अनुसार आरोपी सरपंच श्री बंशी लाल रेगर के घर के आस-पास अपनी-2 उपस्थिति छिपाते हुए परिवादी के निर्धारित ईशारे का इन्तजार करने लगे। इसके बाद समय करीब 7.50 पीएम पर परिवादी ने बिना कोई ईशारे किए मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास आकर बताया कि सरपंच श्री बंशी लाल रेगर अभी तक अपने घर पर नहीं हैं एवं उनका फोन अभी भी स्वीच ऑफ ही आ रहा है। चूंकि रात्रि का समय होने वाला है इसलिये आज अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं होने से परिवादी से डीवीआर प्राप्त किया गया। डीवीआर को चालू कर सुना गया तो उसमें रिकार्ड वार्ताओं में कार्यवाही से सम्बन्धित कोई उपयुक्त वार्ता होना नहीं पाया गया। परिवादी की जिंस की पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में रखे हुये पाउडर युक्त 51500 रूपये व डमी नोट 98500 रूपये के नोट कुल 150000 रूपये के नोटों की तीनों गड्डियों को गवाह श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान से एक सफेद कागज में लिपटवा कर लैस से बन्धवा कर पैकेट तैयार करवा गवाह के पास ही रहने दिया गया। इसके बाद परिवादी को गोपनीयता बनाने की आवश्यक हिदायत दी गई व निर्देश दिये कि जब भी आरोपी सरपंच सम्पर्क करें तो तुरन्त ब्यूरो से सम्पर्क कर अग्रिम कार्यवाही करावें। परिवादी को रूखसत दी गई। इसके बाद समय करीब 8.00 पीएम पर श्री जितेन्द्र सिह हैड कानि. मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री मोहम्मद उमर मंसूरी व श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान व ट्रेप पार्टी सदस्य श्री सुनील कुमार व प्रवीण सिंह कानि0 जरिये प्राईवेट वाहन ट्वेरा मय प्राईवेट चालक श्री विजय सिंह के ब्यूरो चौकी चित्तोड़गढ़ के लिये रवाना कर उनके साथ-2 मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं ट्रेप पार्टी सदस्य श्री दलपत सिंह एएसआई, श्री ओमप्रकाश एएसआई व श्री सन्दीप कुमार कानि0, श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 एवं महिला कानि0 श्रीमति आशा मय सरकारी डिवीआर मय मैमोरी कार्ड के मय लेपटॉप मय प्रिन्टर मय ट्रेप बॉक्स व आवश्यक स्टेशनरी, लेखन सामग्री मय गवाह श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान के पास रखवाये हुये रिश्वत राशि के पैकेट के जरिये सरकारी वाहन ट्वेरा मय चालक श्री शेर सिंह कानि0 के राशमी से ब्यूरो चौकी चित्तोड़गढ़ के लिये रवाना हुआ। इसके बाद समय करीब 8.50 पीएम पर उपरोक्त फिगरा का रवाना शुदा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं ट्रेप पार्टी सदस्य श्री दलपत सिंह एएसआई, श्री ओमप्रकाश एएसआई व श्री सन्दीप कुमार कानि0, श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 एवं महिला कानि0 श्रीमति आशा मय सरकारी डिवीआर मय मैमोरी कार्ड के मय लेपटॉप मय प्रिन्टर मय ट्रेप बॉक्स व आवश्यक स्टेशनरी, लेखन सामग्री मय गवाह श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान के पास रखवाये हुये रिश्वत राशि के पैकेट के जरिये सरकारी वाहन ट्वेरा मय चालक श्री शेर सिंह कानि0 एवं श्री जितेन्द्र सिह हैड कानि. मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री मोहम्मद उमर मंसूरी व श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान व ट्रेप पार्टी सदस्य श्री सुनील कुमार व प्रवीण सिंह कानि0 जरिये प्राईवेट वाहन ट्वेरा मय प्राईवेट चालक श्री विजय सिंह के ब्यूरो चौकी चित्तोड़गढ़ पहुंचे। गवाह श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान के पास रखवाये हुये रिश्वत राशि के पैकेट को व ट्रेप बॉक्स को सुरक्षित रखने हेतु मालखाना ईन्चार्ज श्री जितेन्द्र सिह हैड कानि. को सुपुर्द कर मालखाने में एक तरफ दोनों को अलग-2 जगह रखवाया गया। सरकारी डिवीआर मय मैमोरी कार्ड व पत्रावली को सुरक्षित कार्यालय की अलमारी में रखने हेतु श्री जितेन्द्र सिह हैड कानि. को सम्भलाई गई। दोनो स्वतन्त्र गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों को गोपनीयता बरतने की आवश्यक हिदायत कर रूखसत दी गई। इसके बाद दिनांक 16.08.2025 को समय करीब 4.25 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को श्री जितेन्द्र सिह हैड कानि. ने बताया कि समय करीब 4.16 पीएम पर परिवादी श्री संजय भील ने अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से मेरे मोबाईल नम्बर [redacted] पर कॉल कर बताया कि राशमी कस्बे के निवासी श्री सुनील रांका का मेरे मोबाईल पर कॉल आया और उन्होंने मुझसे कहा कि तुने सरपंच साहब की मोबाईल में कोई रिकार्डिंग की है क्या, तु मेरे से मिलता मैं तेरा काम कम पैसे में करवा दूंगा। इसके बाद दिनांक 22.08.2025 को समय करीब 03.00 पीएम पर परिवादी श्री संजय भील ने ब्यूरो चौकी पर उपस्थित होकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि सरपंच श्री बंशी लाल रेगर ने अभी तक मुझसे कोई सम्पर्क नहीं किया है तथा ना ही उसने मुझे कोई कॉल किया गया। सम्भवतया उसे कोई शंका हो चुकी है और शायद कार्यवाही की भनक भी लग चुकी है क्योंकि मुझे हमारे राशमी कस्बे के निवासी श्री सुनील रांका का दिनांक 16.08.2025 को मेरे मोबाईल पर कॉल आया और उन्होंने मुझसे कहा था कि तुने सरपंच साहब की मोबाईल में कोई रिकार्डिंग की है क्या, तु मेरे से मिलता मैं तेरा काम कम पैसे में करवा दूंगा। इसलिये मुझे लगता है वे मेरे से अब पैसे नहीं लेंगे। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री संजय भील को श्री सुनील रांका से वार्ता कर उनसे सरपंच के लिये रिश्वत की मांग का सत्यापन करवाने की कहने पर परिवादी द्वारा श्री सुनील रांका से मोबाईल पर वार्ता कर रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन करवाने के लिये अपनी सहमति दी। इस पर श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 नं0 132 से कार्यालय का डीवीआर मय मैमोरी कार्ड के मंगवा कर अपने कक्ष में बुलाया। श्री सुनील रांका से रिश्वत राशि की मांग सत्यापन की कार्यवाही की जावेगी। इसके बाद समय करीब 03.28 पीएम पर परिवादी के मोबाईल नंबर [redacted] से राशमी निवासी श्री सुनिल रांका के मोबाईल नम्बर [redacted] पर कॉल करवा कर रिंग जाने पर परिवादी के मोबाईल का लाउडस्पीकर ऑन करवा कर कार्यालय के सरकारी डीवीआर में लगे मैमोरी कार्ड में वार्ता को जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 से रिकार्ड करवाया गया। रिकार्ड हुई वार्ता को चालू कर सुना गया तो श्री सुनील रांका द्वारा कोई रिश्वत की मांग करना नहीं पाया गया। डीवीआर को पुनः कार्यालय की अलमारी में श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 से सुरक्षित

रखवाया गया। उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक से तैयार की जावेगी। इसके बाद समय करीब 04.00 पीएम पर परिवादी को गोपनीयता बनाने की आवश्यक हिदायत दी गई व निर्देश दिये कि जब भी आरोपी सरपंच सम्पर्क करें तो तुरन्त ब्यूरो से सम्पर्क कर अग्रिम कार्यवाही करावें। परिवादी को रूखसत दी गई। इसके बाद दिनांक 26.08.2025 को समय करीब 04.00 पीएम पर परिवादी श्री संजय भील ने कार्यालय में उपस्थित होकर मन् अतिरिक्त पुलिस को एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि मेरे द्वारा दिनांक 15.08.2025 को सरपंच श्री बंशी लाल रेगर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 51500 रूपये आपके कार्यालय में पेश की थी। मैं अब आगे कोई कार्यवाही नहीं करवाना चाहता हू क्योंकि सरपंच श्री बंशी लाल रेगर ने अभी तक मुझसे कोई सम्पर्क नहीं किया है तथा ना ही मुझे कोई फोन किया है तथा ना ही उससे मेरी मुलाकात हो पायी है एवं ना ही उसने मेरे से अब कोई रिश्वत राशि की मांग कर रहा है। क्योंकि उक्त ट्रेप कार्यवाही के बारे में मैंने गॉव के 3 व 4 जनों बता रखा था इस कारण मुझे लगता है कि उसे ट्रेप कार्यवाही की भनक लग गई है। अब वो मेरे से रिश्वत राशि नहीं लेगा इसलिये सरपंच श्री बंशी लाल रेगर के विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही की कोई सम्भावना नहीं है इस कारण मेरे द्वारा ट्रेप कार्य हेतु रिश्वत में दी जाने वाली राशि 51500 रूपये मुझे वापस लौटाने की कृपा करें। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में मजीद दरियाफ्त की गई तो परिवादी ने बताया कि उक्त प्रार्थना पत्र उसने स्वयं की हस्तलिपि में लिखा है एवं उसमें लिखी हुई प्रत्येक बात सही है। परिवादी ने यह भी निवेदन किया कि सरपंच श्री बंशी लाल रेगर को ट्रेप कार्यवाही की भनक लग गई है। इसलिये अब वह मेरे से रिश्वत राशि ग्रहण नहीं करेगा। इस कारण अब मैं आगे और कोई कार्यवाही नहीं करवाना चाहता है। मुझे मेरे द्वारा पूर्व में ब्यूरो कार्यालय चित्तोड़गढ़ पर रिश्वत राशि के रूप में दिए गए 51500 रूपये लौटाने का श्रम करावें। परिवादी के प्रार्थना पत्र को शामिल पत्रावली किया गया। चूंकि परिवादी से की गई मजीद दरियाफ्त एवं उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर उक्त मामले में आगे कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है एवं परिवादी को उसके द्वारा कार्यवाही के दौरान रिश्वत में दी जाने वाली राशि 51500 रूपये सुपुर्द किये जाने हेतु उक्त कार्यवाही के पूर्व के दोनों गवाहान को जरिये दूरभाष तलब कर हिदायत दी गई कि वे अपने उच्च अधिकारी से मौखिक सहमति लेकर राजकार्य हेतु ब्यूरो कार्यालय चित्तोड़गढ़ पर उपस्थित होंवे। परिवादी को कार्यालय में बिठाया गया। इसके बाद समय करीब 04.40 पीएम पर तलबिदा दोनो स्वतंत्र गवाह सर्व श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान हाल व्याख्याता महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय स्टेशन प्रतापनगर चित्तौड़गढ एवं श्री मोहम्मद उमर मंसूरी हाल वरिष्ठ अध्यापक राजकीय पुरूषार्थी उच्च माध्यमिक विद्यालय चित्तौड़गढ उपस्थित कार्यालय आये। दोनों स्वतन्त्र गवाहान को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढ़ कर सुनाया तथा दिखाया गया। दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी द्वारा पुनः उसमें अंकित तथ्यों की ताईद की गई। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद समय करीब 05.00 पीएम पर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष दिनांक 15.08.2025 को समय करीब 05.01 पीएम, 05.02 पीएम, 05.47 पीएम, 05.54 पीएम, 07.07 पीएम, 07.32 पीएम व 07.42 पीएम पर तथा 22.08.2025 को समय करीब 03.25 पीएम व 03.28 पीएम पर परिवादी श्री संजय भील व आरोपी श्री बंशाीलाल रेगर सरपंच ग्राम पंचायत राशमी चित्तौडगढ, के मध्य रिश्वत राशि लेन-देन हेतु परिवादी को जरिये मोबाईल/रूबरू वार्ता हेतु प्रयास किये गये जिसे ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया था उक्त डिवीआर को कार्यालय के कम्प्युटर से कनेक्ट कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जितेन्द्र सिंह हैड कानि से पृथक से तैयार करवाई जाकर फर्द पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय करीब 05.57 पीएम पर गवाहान एवं परिवादी के समक्ष दिनांक 14.08.2025 समय 09.37 एएम को परिवादी श्री संजय भील तथा आरोपी श्री बंशाीलाल रेगर सरपंच ग्राम पंचायत राशमी चित्तौडगढ की आरोपी की रिहायशी मकान पर हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 15.08.2025 को समय 05.01 पीएम की रिकार्डिंग, दिनांक 15.08.2025 समय 05.02 पीएम की रिकार्डिंग, दिनांक 15.08.2025 समय 05.47 पीएम रिकार्डिंग, दिनांक 15.08.2025 समय 05.54 पीएम की रिकॉर्डिंग, दिनांक 15.08.2025 समय 07.07 पीएम की रिकार्डिंग, दिनांक 15.08.2025 समय 07.32 पीएम परिवादी तथा आरोपी की पत्नि की मोबाईल वार्ता रिकार्डिंग, दिनांक 15.08.2025 समय 07.42 पीएम परिवादी तथा आरोपी की पत्नि की मोबाईल वार्ता रिकार्डिंग, दिनांक 22.08.2025 समय 03.25 पीएम हुई रिकार्डिंग, दिनांक 22.08.2025 समय 03.28 पीएम पर परिवादी के मोबाईल नंबर [redacted] से राशमी निवासी श्री सुनिल रांका के मोबाईल नम्बर [redacted] पर हुई वार्ता की रिकार्डिंग कुल 10 रिकार्डिंग जो कार्यालय के डिवीआर में लगे मेमोरी कार्ड केडीएम कंपनी 32 जीबी बरंग काला में सुरक्षित है। उक्त डिवीआर को कार्यालय के कम्प्युटर से कनेक्ट कर उक्त वार्ताओ के फोल्डर का जो RADIO01 नाम से है उक्त 10 वार्ताओं के फोल्डर को तीन पेन ड्राईव में श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि से कॉपी करवाया जाकर एक पेन ड्राईव माननीय न्यायालाय हेतु जिसको सफेद कपडे की थैली में रखकर सीलचिट कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये तथा आरोपी एवं अनुसंधान अधिकारी के पेन ड्राईव को खुला रखा गया। फर्द डबिंग पेन ड्राईव मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जितेन्द्र सिंह हैड कानि से पृथक से तैयार करवाई जाकर फर्द पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय करीब 07.30 पीएम पर गवाहान एवं परिवादी के समक्ष दिनांक 14.08.2025 समय 09.37 एएम को परिवादी श्री संजय भील तथा आरोपी श्री बंशाीलाल रेगर सरपंच गा्रम पंचायत राशमी चित्तौडगढ की आरोपी की रिहायशी मकान

पर हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 15.08.2025 को समय 05.01 पीएम की रिकार्डिंग, दिनांक 15.08.2025 समय 05.02 पीएम की रिकार्डिंग, दिनांक 15.08.2025 समय 05.47 पीएम रिकार्डिंग, दिनांक 15.08.2025 समय 05.54 पीएम की रिकॉर्डिंग, दिनांक 15.08.2025 समय 07.07 पीएम की रिकार्डिंग, दिनांक 15.08.2025 समय 07.32 पीएम परिवादी तथा आरोपी की पत्नि की मोबाईल वार्ता रिकार्डिंग, दिनांक 15.08.2025 समय 07.42 पीएम परिवादी तथा आरोपी की पत्नि की मोबाईल वार्ता रिकार्डिंग, दिनांक 22.08.2025 समय 03.25 पीएम हुई रिकार्डिंग, दिनांक 22.08.2025 समय 03.28 पीएम पर परिवादी के मोबाईल नंबर [redacted] से राशमी निवासी श्री सुनिल रांका के मोबाईल नम्बर [redacted] पर हुई वार्ता की रिकार्डिंग कुल 10 रिकार्डिंग जो कार्यालय के डिवीआर में लगे मेमोरी कार्ड केडीएम कंपनी 32 जीबी बरंग काला में सुरक्षित है। उक्त डिवीआर को कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट कर उक्त वार्ताओ की हैश वैल्यु श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि से निकलवा कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये तथा डिवीआर से मैमोरी कार्ड निकालकर एक सफेद कपडे की थैली में रख कर उक्त मेमोरी कार्ड को सफेद कपडे की थैली में सीलचीट कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। मार्क M अंकित किया गया। फर्द जप्ती मूल मेमोरी कार्ड मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जितेन्द्र सिंह हैड कानि से पृथक से तैयार करवाई जाकर फर्द पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय करीब 08.00 पीएम पर मालखाना ईन्चार्ज श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 से मालखाने में सुरक्षित रखी हुई रिश्वत राशि 51500 रूपये मंगवाये गये। रिश्वत राशि के रूप में दिये जाने वाले 51500 रूपये परिवादी श्री संजय भील को दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष लौटाये गये। दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री संजय भील से उसके द्वारा आज प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र की पुश्त पर ही उससे प्राप्ति रसीद ली जाकर दोनों स्वतन्त्र गवाहान के हस्ताक्षर करवा कर बाद अवलोकन प्राप्ति रसीद को शामिल पत्रावली की गई। परिवादी व दोनों स्वतन्त्र गवाहान को रूखसत किया गया। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अब तक की गई कार्यवाही से आरोपी श्री बंशी लाल रेगर सरपंच ग्राम पंचायत राशमी तहसील राशमी जिला चित्तोड़गढ़ द्वारा एक लोक सेवक होते हुए अपने पद एवं अधिकारों का दुरूपयोग कर परिवादी श्री संजय भील के मकान एवं भूखण्डों के पट्टे बनाने की एवज में 3,00,000 रूपये की रिश्वत राशि की स्पष्ट मांग करना एवं प्रथम किश्त के रूप में 1,50,000 रूपये की रिश्वत राशि लेने हेतु सहमत होना पाया जाने से आरोपी श्री बंशी लाल रेगर, सरपंच, ग्राम पंचायत राशमी तहसील राशमी जिला चित्तोड़गढ़ का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध कारित करना प्रथम दृष्टिया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री बंशी लाल रेगर पुत्र श्री प्यार चन्द रेगर उम्र 52 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 02 मुकाम पोस्ट राशमी जिला चित्तोडगढ हाल सरपंच ग्राम पंचायत राशमी तहसील राशमी जिला चित्तोडगढ के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रकरण दर्ज करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन मुख्यालय पर प्रेषित है। (विक्रम सिंह) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चित्तौडगढ.............कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री विक्रम सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौडगढ ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री बंशी लाल रेगर पुत्र श्री प्यार चन्द रेगर उम्र 52 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 02 मुकाम पोस्ट राशमी जिला चित्तोडगढ हाल सरपंच ग्राम पंचायत राशमी तहसील राशमी जिला चित्तोडगढ के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री विक्रम सिंह परमार,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, प्रतापगढ को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 48 पर अंकित है।(पुष्पेन्द्र सिंह राठौड)पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर। क्रमांक 1464-67 दिनांक 03-10-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:–1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, चित्तौडगढ 2-उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर 3-आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौडगढ। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**
or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** VIKRAM SINGH PARMAR **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक
No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**
or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 0?/10/2025

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1973				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)